

2-15985/16

ROOPALI PANDE
Astt. Manag

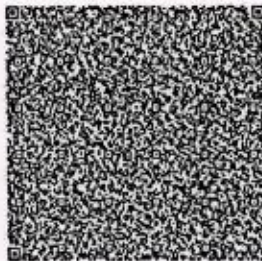


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP0067869777110M
Certificate Issued Date	: 17-Oct-2016 03:15 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0100812656408175M
Purchased by	: ABHISHEK TRIPATHI S O SUDHIR TRIPATHI
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: LAND KHASARA NO-820 AREA-0.3920 HECT SIT AT VILLAGE KUMBHRAWA TEHSIL BKT DIST LKO.
Consideration Price (Rs.)	: 16,00,000 (Sixteen Lakhs only)
First Party	: HARI LAL S O GOKARAN
Second Party	: ABHISHEK TRIPATHI S O SUDHIR TRIPATHI
Stamp Duty Paid By	: ABHISHEK TRIPATHI S O SUDHIR TRIPATHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 6,980 (Six Thousand Nine Hundred Eighty only)



[Handwritten signature]

.....Please write or type below this line.....

हरी लाल



Abhishek Tripathi



0001278571



हरी लाल



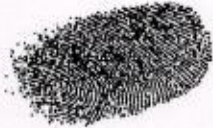
Abhishek

विक्रय मूल्य	रु० 16,00,000/-
बयाना	रु० 4,00,000/-
स्टाम्प शुल्क	रु० 6,980/-
परगना	महोना

विक्रय अनुबन्ध-पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - महोना
3. ग्राम - कुम्हरावाँ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा सं०-820
5. मीपन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.3920 हेक्टेयर
7. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

हरी लाल



Abhishek Fopale



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 7. सड़क की स्थिति | - कुछ नहीं |
| 8. अन्य | - कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - कृषि भूमि |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | - कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुआं व अन्य | - कुछ नहीं |
| 12. सरकारी दर | - 62,00,000 / प्रति हे० |
| 13. प्रतिफल की धनराशि | - 4,00,000 / - |
| 14. चौहद्दी:- | |

पूरब भूमि नं० 821 व 822 पश्चिम भूमि नं०- 824 उत्तर भूमि नं० 822 व 823 दक्षिण भूमि नं० 815

प्रथम पक्ष संख्या
विक्रेता का विवरण

श्री हरी लाल
पुत्र श्री गोकर्ण
निवासी- कन्हईपुर मजरा
कुम्हरावाँ लखनऊ

द्वितीय पक्ष संख्या
क्रेता का विवरण

श्री अभिषेक त्रिपाठी पुत्र
श्री सुधीर त्रिपाठी
निवासी 1/217, वास्तु
खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ
पैननं०-ADWPT4341E

हरी लाल



Akshat Tripathi



विक्रय अनुबन्ध-पत्र बिना कब्जा

जो विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या-820 रकबा-0.3920 हेक्टेयर, यानि विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण अंश स्थित-ग्राम-कुम्हरावाँ, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब व जिला-लखनऊ, के विक्रेतागण मालिक, कामिल व काबिज हैं। उक्त आराजी भूमि विक्रेतागण की पैतृक सम्पत्ति हैं, जो विक्रेतागण के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है। जो जुमला हर किस्म के इंतकालात मिस्ल रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है। उक्त आराजी एल.डी.ए. आवास विकास या किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित नहीं की गयी है तथा उपरोक्त भूमि का अनुबन्ध-पत्र करने का हक व अधिकार हासिल हैं।

यह कि अब विक्रेतागण अपनी राजी खुशी से खूब सोंच समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने बंदरुस्ती होशो हवास में बजरूरत स्वयं के उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरी व रकबा उपरोक्त को बिलएवज मुबलिग 16,00,000/- (रुपया सोलह लाख मात्र) में बदस्त क्रेतागण 1. अभिषेक त्रिपाठी पुत्र श्री सुधीर त्रिपाठी निवासी-1/217, वास्तु खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, के हक में विक्रय करना तय किया है।

हरी लाल

Ashish Tripathi



कुल विक्रय मूल्य में से मुबलिया 4,00,000/- (रुपया चार लाख मात्र) बतौर बयाना विक्रेतागण ने क्रेतागण उपरोक्त से अन्त में दिये विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है। अब हम उभय पक्ष इकरार करते हैं कि:-

1. यह कि इस अनुबन्ध-पत्र में आने वाले समस्त व्यय जैसे-स्टाम्प शुल्क व कोर्ट फीस आदि को अदा करने की जिम्मेदारी क्रेतागण की है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष/क्रेतागण के द्वारा शेष रुपया 12,00,000/- आज की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर विक्रेतागण/प्रथम पक्ष को अदा करके अपने या अपने द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में एक साथ सम्पूर्ण भूमि का विक्रय विलेख अथवा टुकड़ों में विक्रय विलेख निष्पादित करवा लेंगे।
3. यह कि यदि किन्हीं कारणों से विक्रय विलेख प्रथम पक्ष/विक्रेतागण निर्धारित समय सीमा के अन्दर निष्पादित

हरी लाल



Abhishek Tripathi



करने में असमर्थ रहते है या द्वितीय पक्ष/क्रेतागण किन्ही कारणों से विक्रय विलेख अपने पक्ष में पंजीकृत करवाने में असमर्थ रहते है तो ऐसी स्थिति में उभय पक्ष आपसी सहमति से इस अनुबन्ध-पत्र की समय सीमा बढ़ा सकते है। अथवा उभय पक्ष एक नया अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करेंगे।

4. यह कि यदि उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो उसका प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्त करने का अधिकार क्रेतागण/द्वितीय पक्ष होगा, इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि यदि विक्रेतागण उपरोक्त भूमि का विक्रय विलेख क्रेतागण के पक्ष में निष्पादित करने में किसी प्रकार की टालमटोल या कोई हीला-हवाली करते हैं तो क्रेतागण को पूरा हक व अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि का विक्रय विलेख विक्रेतागण से अपने हक में जरिये अदालत विक्रय-विलेख निष्पादित करवा लें। ऐसी दशा में मुकदमा आदि में होने वाले समस्त खर्च व नुकसान को अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेतागण की होगी।

हरी लाल

Abhishek Tripathi

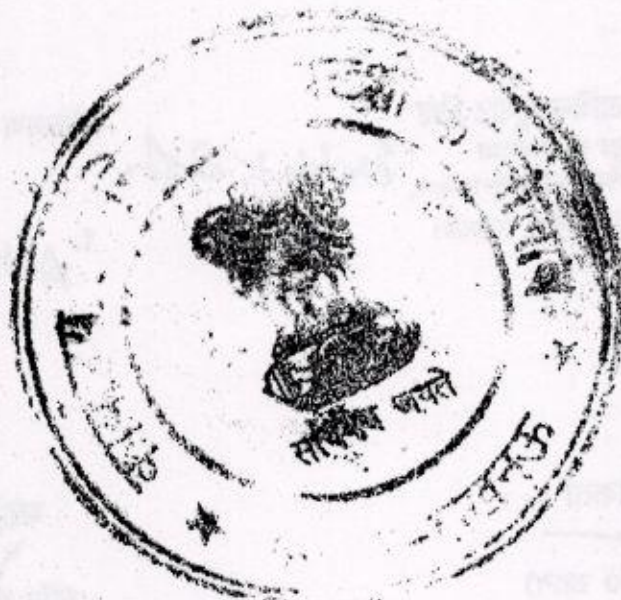


आज दिनांक 17/10/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 8273

पृष्ठ सं. 144 से 160 पर क्रमांक 15985

रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सर्वेश सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक

बख्शीकातालाब

17/10/2016